पत्र संख्या–11/आ0–विविध–05/2019 सा0प्र0 3915

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 17.3.21

विषय :– **बिहार के अस्थायी निवासियों को बिहार राज्य में नियोजन में आरक्षण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्र ज्ञापांक–221 दिनांक–06.03.2021 के प्रसंग में कहना है कि तत्कालीन. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–70 दिनांक–11.06.1996 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग सहित अन्य सक्षम प्राधिकारों को सूचना दी जा चुकी है कि **राज्य सरकार द्वारा भली–भांति विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि राज्य की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों की सम्पूर्ण आरक्षित रिक्तियाँ बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग के लिए ही उपलब्ध होगी। चूँकि सरकारी सेवाओं में बिहार में निवासी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य के सेवाओं के सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में हो, अर्थात जो बिहार के मूल वासी हों।**

कालांतर में उपर्युक्त परिपत्र के प्रावधानों को **बिहार अधिनियम–15/2003** के अंतर्गत निम्नवत किया गया है–

"परन्तु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधिन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।"

अतएव उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सूचित करना है कि **अस्थायी निवासियों अथवा अस्थायी निवास प्रमाण पत्र धारकों को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं कराया जा सकता है।**

उपर्युक्त वर्णित अधिनियमों/परिपत्रों की छायाप्रति एतद द्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, जिसके अवलोकन से स्थिति स्वतः स्पष्ट होगी।

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन

(मो0 सिराजुद्दीन अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।

FILE PATH-D/ Rabindra/ LETTER